रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 423] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 8, 2000/श्रावण 17, 1922

No. 423] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 8, 2000/SRAVANA 17, 1922

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(पूंजी बाजार तथा विदेशी वाणिज्यिक उधार प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2000

सा. का. नि. 654 (अ).—प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार प्रतिभूति संविदा (विनियम), नियमावली, 1957 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है ; नामतः

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का नाम प्रतिभूति संविदा (विनियम) संशोधन नियमावली, 2000 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. प्रतिभूति संविदा (विनियम) नियमावली, 1957 में ---

(i) नियम 19 में, उप-नियम (5) में, दूसरे परन्तुक के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :--

" परन्तु यह और कि जहां किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज ने किसी प्रतिभूति के व्यवहारों में अपने प्रवेश को रोक लिया है,अथवा जहां व्यवहारों में प्रवेश का निलम्बन तीन मास की अवधि से अधिक के लिए जारी रहता है, कंपनी या संबंधित निगमित निकाय भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम,1992 (1992 का 15) की धारा 15ट के तहत गठित प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील कर सकेगा, तथा प्रतिभूति संविदा (विनियम) (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) नियमावली,2000 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया ऐसी अपील पर प्रयोज्य होगी । प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण स्टाक एक्सचेंज को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् स्टाक एक्सचेंज के निर्णय को परिवर्तित या अपास्त कर सकेगा तथा स्टाक एक्सचेंज उसके आदेशों का अनुपालन करेगा ;"

(ii) उप-नियम(6) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा,नामतः ---

" (6) कोई मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज अपने विवेकानुसार या उपनियम (5) के अधीन प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों के अनुसार सूची से निलम्बित या वापस ली गई किन्हीं प्रतिभूतियों के व्यवहारों को प्रत्यावर्तित या पुनः प्रविष्ट कर सकता है" ;

(iii) नियम 19 के पश्चात् निम्नलिखित नियम सन्निविष्ट किए जाएंगे,नामतः :--

" 20. किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सामूहिक निवेश योजना के यूनिटों या किसी अन्य लिखत के सूचीकरण की बाबत अपेक्षाएं :"

(1) किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में अपनी किसी सामूहिक निवेश योजना को सूचीबद्ध करवाने की इच्छुक सामूहिक निवेश प्रबन्धन कंपनी(सीआईएमसी) इस प्रयोजनार्थ स्टाक एक्सचेंज को आवेदन भेजेगी तथा अपने आवेदनपत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज और विवरण भेजेगी :

(क) कंपनी के निगमन का प्रमाणपत्र, ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद तथा सूचीबद्ध की जाने वाली आशयित योजना के न्यास विलेख की प्रति ।

(ख) सभी विवरण पत्रिकाओं अथवा किसी भी समय कंपनी द्वारा विवरण पत्रिकाओं के बदले में जारी विवरणों की प्रतियां ।

(ग) पिछले पांच वर्षों अथवा नई कंपनी के मामले में कंपनी के अस्तित्व में आने की अल्पावधि के दौरान बिक्री के लिए पेशकशों तथा अभिदाय या बिक्री के लिए किसी यूनिट या अन्य लिखत की पेशकश करने वाले परिपत्रों या विज्ञापनों की प्रतियां ।

(घ) पिछले पांच वर्षों के लिए या नई कंपनी के मामले में ऐसी कम अवधि के लिए जिसके लिए लेखे तैयार किए गए हैं, तुलनपत्रों और संपरीक्षित लेखा की प्रतियां ।

(ड.) विवरणी जिसमें निम्नलिखित दर्शित होंगे :--

(i) पिछले दस वर्षों (या ऐसी कम अवधि, जिसके दौरान कंपनी विद्यमान रही है चाहे वह निजी या सरकारी कंपनी के रूप में रही हों) के दौरान प्रदत्त प्रतिफल और नकद बोनस, यदि कोई हों ।

(ii) लाभांश या बकाया ब्याज, यदि कोई हो ।

(च) निम्नलिखित के साथ या उनके बीच हुए कंपनी की प्रत्येक योजना से संबंधित करारों या अन्य दस्तावेजों की अधिप्रमाणित प्रतियां या :--

(i) विक्रेता और/या संप्रवर्तक ,

(ii) हामीदार और उप-हामीदार ,

(iii) दलाल और उप-दलाल ।

(छ) निम्नलिखित के साथ कंपनी के प्रत्येक योजना के संबंध में हुए करारों की अधिप्रमाणित प्रतियां :--

(i) विक्रय अभिकर्ता और अन्य सेवा उपलब्ध कराने वाले,

(ii) प्रबन्ध निदेशक और तकनीक़ी निदेशक,

(iii) महाप्रबन्धक, विक्रय प्रबन्धक, प्रबन्धक या सचिव।

(ज) प्रत्येक पत्र, रिपोर्ट, तुलनपत्र, मूल्यांकन संविदा, न्यायालय आदेश या अन्य दस्तावेज की अधिप्रमाणित प्रति या जिनके भाग पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी विवरण पुस्तिका, अभिदाय या विक्रय के लिए यूनिटों या किन्हीं अन्य लिखतों का प्रस्ताव करने वाले विक्रय प्रस्ताव, परिपत्र या विज्ञापन में उद्धृत या निर्दिष्ट हैं ।

(झ) एक विवरण जिसमें ऐसी योजना से संबंधित दस्तावेजों के निबन्धनों, विषय-वस्तु और साधारण प्रकृति के संक्षिप्त विवरण सहित सभी सारवान संविदाओं, करारों

(जिसमें तकनीकी सलाह और सहयोग के करार सम्मिलित हैं) ,रिआयतों और वैसे ही अन्य दस्तावेजों,(सिवाय उनके जो किसी कंपनी द्वारा कारोबार करने या का कारोबार करने के लिए आशयित साधारण अनुक्रम में किए गए हैं) की तारीखों और पक्षकारों की विशिष्टियां अन्तर्विष्ट हों ।

(ञ) कंपनी के कार्यकलापों के ब्यौरे देते हुए कंपनी का संक्षिप्त इतिहास, जब से इसका निगमन हुआ है, जिसमें कोई पुनर्गठन, पुरर्संरचना या समामेलन, इसकी पूंजी संरचना में परिवर्तन, (प्राधिकृत, निगमित और अभिदत्त) और डिबेंचर, उधार यदि कोई हों,शामिल हैं ।

(ट) योजना के यूनिटों तथा/अथवा कंपनी के निर्गमित शेयरों,डिबेंचरों की विशिष्टियां : (i) रोकड़ से भिन्न प्रतिशत के लिए चाहे वह सम्पूर्णतः हो या भागत; (ii) किसी प्रीमियम या मितीकाटे पर, या (iii) किसी विकल्प के अनुसरण में ।

(ठ) ऐसी योजना के संबंध में किसी व्यक्ति को मंजूर की गई किसी कमीशन,दलाली,मितीकाटे या अन्य विशेष निबंधनों की विशिष्टियां अंतर्विष्ट करने वाला एक विवरण ।

(ड) निम्नलिखित की प्रमाणित प्रतियां :-

(i) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा प्रदत्त पंजीकरण प्रमाणपत्र ।

(ii) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पास प्रस्ताव दस्तावेज दर्ज करने का पावती कार्ड या रसीद ;

(iii) कंपनी अधिनियम,1956 (1956 का 1) की धारा 4क में यथाविनिर्दिष्ट किसी सरकारी वित्तीय संस्था के साथ करार, यदि कोई हों ।

(ढ़) आवेदन की तिथि को कंपनी की प्रत्येक योजना के यूनिटों के उच्चतम दस धारकों की सूची जिसमें उनके द्वारा धारित यूनिटों की संख्या की विशिष्टियां हों और प्रत्येक धारक का पता हो ।

(ण) योजना के यूनिटों की विशिष्टियां जिनके लिए व्यवहार करने की अनुज्ञा के लिए आवेदन किया गया है :

परन्तु यह कि कोई मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज साधारणतया अपनी उपविधियों के द्वारा या किसी भी विशिष्ट मामले में ऐसी और विशिष्टियां या दस्तावेज मांगेगा जो वह उपयुक्त समझें ।

(2.) ऐसे अन्य निबन्धनों और शर्तों का अनुपालन करने के अतिरिक्त जो किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज द्वारा अधिकथित किए जाएं, कोई आवेदक कंपनी स्टाक एक्सचेंज का यह समाधान करेगा कि :--

(क) इसके अनुच्छेद संगम में, अन्य बातों के साथ निम्नलिखित का उपबंध है :-

(i) कि कंपनी किसी विशिष्ट योजना के यूनिटों के अन्तरण के लिए एक सामान्य प्ररूप का प्रयोग करेगी,

(ii) कि योजना के अन्तर्गत जारी पूर्णतः संदत्त यूनिट सभी धारणाधिकारों से मुक्त रहेंगे जब कि भागतः संदत्त यूनिटों की दशा में कंपनी का धारणाधिकार, यदि कोई हो, ऐसे यूनिटों की बाबत नियत समय पर मांगे गए या संदेय धन तक निर्बन्धित रहेगा ।

(iii) कि किन्हीं यूनिटों पर मांग से अग्रिम में संदत्त किसी राशि पर ब्याज लग सकेगा किन्तु किसी पश्चातवर्ती घोषित प्रतिफल में उसकी बाबत भाग लेने के लिए यूनिट धारक हकदार नहीं होगा ।

(iv) दावे के विधि द्वारा वर्जन होने से पूर्व दावा न किए गए प्रतिफल समपहृत नहीं होंगे ।

(v) कि किसी व्यक्ति को,साधारण बैठक में कंपनी की मंजूरी के सिवाय,यूनिटों को मंगाने का विकल्प या हक नहीं दिया जाएगा ।

परन्तु यह कि कोई मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज किसी योजना के यूनिटों के संव्यवहार को वास्तविक रूप से अनुज्ञात कर सकेगा जो अपनी अगली साधारण बैठक में संगम अनुच्छेद का संशोधन करने का वचन देती है जिससे कि पूर्वगामी अपेक्षाओं का पालन हो सके और इस दौरान इस खंड के उपबंधों के अनुसार कठोरता से कार्य करने का करार करती है ।

(ख) कंपनी द्वारा निर्गमित किसी योजना के यूनिटों या किसी अन्य लिखत का कम से कम पच्चीस प्रतिशत, समाचार पत्रों में दो दिन से अन्यून तथा 90 दिन से अनधिक की अवधि के लिए विज्ञापन की मार्फत अभिदाय के लिए सार्वजनिक प्रस्ताव किया गया था और यह कि ऐसे प्रस्ताव के अनुसरण में प्राप्त आवेदनों को उचित रूप से और बिना शर्त के आवंटित किया गया था :-

परन्तु यह कि कोई मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पूर्वानुमोदन से कंपनी अधिनियम,1956 (1956 का 1) की धारा 617 के अन्तर्गत किसी सरकारी कंपनी की बाबत और ऐसे अनुदेशों के अधीन रहते हुए, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इस निमित्त समय-समय पर जारी करें, इस अपेक्षा से छूट दे सकेगा ।

स्पष्टीकरण :- जहां सूचीबद्ध किए जाने वाले यूनिटों के किसी भाग या किसी अन्य लिखत के केन्द्रीय सरकार ,किसी राज्य सरकार, किसी राज्य सरकार के विकास या विनिधान अभिकरण, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम,भारतीय औद्योगिक प्रत्यय और विनिधान निगम लिमिटेड ,भारतीय जीवन बीमा निगम,भारतीय साधारण बीमा निगम और उसकी अनुषंगी अर्थात् राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरियन्टल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इश्योरेंस,कंपनी लिमिटेड या भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा ले लिया गया है या लिए जाने का करार किया है, यूनिटों या किसी अन्य लिखत को कुल अभिदाय चाहे वह एक या एक से अधिक निकायों द्वारा हों, जनता को पेशकश किए जाने वाले यूनिटों या किसी अन्य लिखतों के पच्चीस प्रतिशत का भाग नहीं होगा ।

(3.) सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन करने वाली कोई कंपनी, अन्य बातों के साथ-साथ पुरोभाव्य शर्त के रूप में वचन देगी :--

(क) (i) कि यूनिटों या किसी अन्य लिखत के आवंटन पत्र एक साथ जारी किए जाएंगे और यह कि ऐसी दशा में जहां खेद-पत्र साथ ही जारी करना संभव न हो वहां उसी आशय की एक सूचना प्रेस में भेज दी जाएगी जिससे कि आवंटन पत्र डाक द्वारा भेज दिए जाने के बाद की सुबह को छप जाए ;

(ii) कि अधिकार पत्र एक साथ जारी किए जाएंगे ;

(iii) कि आवंटन, स्वीकृति या अधिकार पत्रों को अच्छी क्वालिटी के कागज पर क्रम संख्यांकित, मुद्रित किया जाएगा और कंपनी के किसी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा उसे परीक्षित और हस्ताक्षरित किया जाएगा और यह कि जब भी संभव हो, उन पर यूनिटों या किन्हीं अन्य लिखतों जिससे वे संबंधित हैं,की सुभिन्न संख्याक होंगी ;

(iv) कि आवंटन पत्र और अधिकार के त्यजनीय पत्रों में विभक्त करने का एक उपबंध होगा और यह कि जहां एक्सचेंज द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए, त्यजन प्ररूप को आवंटन पत्रों और अधिकार पत्रों के पिछली ओर मुद्रित किया जाएगा या उनके साथ संलग्न किया जाएगा ।

(v) कि आवंटन पत्रों और अधिकार पत्रों में यह अभिकथित होगा कि यूनिटों या किन्हीं अन्य लिखतों पर ब्याज या लाभांशों का अगला संदाय किस प्रकार संगणित किया जाएगा ।

(ख) जब ऐसी अपेक्षा की जाए, इसके पास निक्षिप्त सभी यूनिटों या किन्हीं अन्य लिखतों की प्राप्तियां चाहे वह रजिस्ट्रीकरण, उप-विभाजन, विनिमय या अन्य प्रयोजनों के लिए हों, जारी करेगा; और यूनिटों या किन्हीं अन्य लिखतों के अन्तरण, उप विभाजन और समेकन और आवंटन पत्रों, अधिकार त्यजन पत्रों के उप-विभाजन और उनके विघटन, समेकन नवीकरण और व्यवसाय के बाजार एकक के मूल्यवर्गों में अन्तरण रसीदों के रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई फीस भारित नहीं करेगा;

(ग) जब ऐसी अपेक्षा की जाए, व्यवसाय के बाजार एकक के मूल्यवर्गों में यूनिटों के समेकन और नवीकरण यूनिट या कोई अन्य लिखत जारी करना, यूनिट या किसी अन्य लिखत, आवंटन पत्रों, अधिकार पत्रों और अन्तरण, नवीकरण, समेकन और छोटी इकाइयों में रसीदों का विघटन करना, मांग सूचनाओं का विघटन करना, उनकी दूसरी प्रति जारी करना, और मांग प्राप्तियों पर किसी उन्मोचन की अपेक्षा न करना और विघटन समेकन तथा नवीकरण रसीदों पर स्टाक एक्सचेंज के सदस्यों के उन्मोचन को रजिस्ट्रीकृत धारकों के उन्मोचन पर बल दिए बिना सही तथा पर्याप्त के रूप में स्वीकार करना ;

(घ) जब दस्तावेज एक्सचेंज के निकासी गृह की मार्फत उप-विभाजन या समेकन अथवा नवीकरण के लिए निर्विष्ट किए जाएंगे :

(i) कंपनी की विघटन रसीदों तथा समेकन रसीदों तथा नवीकरण रसीदों पर स्टाक एक्सचेंज के निकासी गृह के किसी पदधारी का उन्मोचन रसीद रजिस्ट्रीकृत धारकों के उन्मोचन पर ध्यान दिए बिना सही एवं पर्याप्त के रूप में स्वीकार करना; तथा

(ii) जब कंपनी निर्विष्ट करने पर यूनिट या कोई अन्य लिखतें या विघटन रसीद अथवा नवीकरण रसीद तत्काल जारी करने में असमर्थ हों तुरन्त यह सत्यापन करना कि उप-विभाजन या समेकन या नवीकरण के लिए निर्विष्ट दस्तावेजों पर रजिस्टर्ड धारकों के उन्मोचन तथा संबंधित अन्तरणों पर उनके हस्ताक्षर सही हैं ;

(ड.) यूनिट धारकों या एक्सचेंज के सदस्यों द्वारा आवश्यक दस्तावेज पेश किए जाने पर उनके अन्तरण पर इस आशय का एक पृष्ठांकन करना कि मुख्तारनामा या प्रोबेट या प्रशासन पत्र या मृत्यु प्रमाणपत्र या उसी प्रकार का अन्य दस्तावेज कंपनी द्वारा सम्यक् रूप से प्रदर्शित किया गया है रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है;

(च) अन्तरण के लिए निर्विष्ट यूनिटों या किसी अन्य लिखत की बाबत अन्तरण के निर्विष्ट करने की तारीख के एक मास की अवधि के भीतर प्रमाणपत्र जारी करना और उसी अवधि के भीतर शेष यूनिट या कोई अन्य लिखत जारी करना जहां अन्तरण के साथ अपेक्षाकृत बड़ा यूनिट या कोई अन्य लिखत प्रमाण पत्र लगा हुआ हो ;

(छ) स्टाक एक्सचेंज को बोर्ड की बैठक की तारीख सूचित करना जिसमें किसी लाभांश प्रतिफल या निर्गम या अधिकार या बोनस यूनिटों या किसी अन्य लिखत की घोषणा या सिफारिश पर विचार किया जाएगा;

(ज) इसकी अन्तरण पुस्तकों को बंद करने के प्रारंभण या इस प्रयोजन के लिए नियत की गई अभिलेख तारीख से कम से कम पांच दिन पूर्व सभी प्रतिफलों तथा/या नकद बोनसों की सिफारिश करना या उनकी घोषणा करना, और स्टाक एक्सचेंजों को लिखित रूप में सभी प्रतिफलों और/या नकद बोनसों की, जिनकी उन पर अंतिम निर्णय ले लिए जाने की कंपनी के बोर्ड की बैठक के तुरन्त पश्चात् सिफारिश की गई है या घोषणा की गई है, सूचना देना;

(झ) निम्नलिखित में किसी परिवर्तन के बारे में स्टाक एक्सचेंज को अधिसूचित करना –

(i) कंपनी के निदेशालय में हुई मृत्यु, पदत्याग, हटाना जाना या अन्यथा के संबंध में ;

(ii) प्रबन्ध निदेशक, के संबंध में ;

(iii) कंपनी की लेखा बहियों तथा लेखाओं की संपरीक्षा के लिए नियुक्त संपरीक्षाकों के संबंध में ;

(ञ) ऐसी योजना की कानूनी और वार्षिक रिपोर्टों तथा संपरीक्षित लेखाओं की प्रतियां जिसमें निदेशक की रिपोर्ट भी सम्मिलित है, ज्यों ही जारी की जाएं, स्टाक एक्सचेंज को भेजना ;

(ट) योजना के निष्पादन को प्रभावित करने वाली किसी महत्वपूर्ण घटना या कंपनी द्वारा पारित संकल्पों के संबंध में यूनिटों /अन्य लिखतों की धारकों को भेजी गई सभी अन्य सूचनाओं और परिपत्रों की प्रतियां, ज्यों ही ये जारी की जाती हैं, स्टाक एक्सचेंज को भेजना; तथा कंपनी के संकल्पों की सत्यापित प्रतियां स्टाक एक्सचेंज में फाइल करना ज्यों ही वे प्रभावी होते हैं ;

(ठ) किन्हीं नये यूनिटों/अन्य लिखतों के किसी निर्गम चाहे वे अधिकार, विशेषाधिकार, बोनस या अन्यथा के रूप में हों, और वह रीति जिसके जिसके उनको प्रतिस्थापित करने या आवंटन करने का प्रस्ताव है, यूनिटों/अन्य लिखतों के धारकों को सूचित करने से पूर्व स्टाक एक्सचेंज को अधिसूचित करना ;

(ड) किन्हीं समपहृत यूनिटों/अन्य लिखतों को पुनः निर्गमित करने या यूनिटों/अन्य लिखतों का निर्गम भविष्य में निगर्मन के लिए आरक्षित करने की दशा में स्टाक एक्सचेंजों को अधिसूचित करना;

(ढ) यूनिट पूंजी में किसी अन्य परिवर्तन को, जिसमें मांग भी सम्मिलित है, स्टाक एक्सचेंज को अधिसूचित करना ;

(ण) केवल प्रतिफल की घोषणा या अधिकार या बोनस यूनिटों/किसी अन्य लिखत के निर्गमन या ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए जिसके लिए स्टाक एक्सचेंज करार करता है, अन्तरण पुस्तिकाओं को बंद करना और स्टाक एक्सचेंज को अग्रिम में इतने दिनों की सूचना देना जो एक्सचेंज समय-समय पर युक्तियुक्त रूप में विहित करे, इसके अन्तरण पुस्तिका के बंद करने की तारीख का कथन करते हुए या जब अन्तरण पुस्तिका बंद न की जानी हो, अपने यूनिट/अन्य लिखत धारकों को अभिलेख पर लेने के लिए नियत तारीख और उस प्रयोजन या उन प्रयोजनों को विहित करते हुए जिसके लिए अन्तरण पुस्तिकाएं बंद की जानी हैं या अभिलेख लिया जाना है और अधिकार या बोनस निर्गमन के मामले में अन्तरण पुस्तिका को बंद करने के लिए या अभिलेख तिथि तभी निश्चित करना जब सक्षम प्राधिकारी जिसके अधीन रखते हुए निर्गम प्रस्तावित है, की मंजूरी सम्यक रूप से प्राप्त कर ली हो जब तक कि एक्सचेंज अन्यथा सहमत न हों ;

(त) कंपनी के यूनिटों/किसी अन्य लिखत के प्रत्येक वर्ग के कम से कम दस प्रधान धारकों के वार्षिक लेखे तैयार करने के तुरन्त पश्चात् एक वार्षिक विवरण स्टाक एक्सचेंज को भेजना जिसके साथ प्रत्येक ऐसे धारक द्वारा धारित यूनिटों/किसी अन्य लिखत की संख्या की विशिष्टियां तथा पता होगा ;

(थ) स्कीम के यूनिट/अन्य किसी लिखत धारक को अधिकार निर्गमन, विशेषाधिकार और लाभ निर्गमन के सभी मामलों में त्यजन का अधिकार प्रदान करना और उन्हें युक्तियुक्त समय अनुज्ञात करना जो चार सप्ताह से अन्यून का हो जिसके भीतर ऐसे अधिकारों, विशेषाधिकारों और लाभों को अभिलिखित, प्रयुक्त या त्यजन किया जाएगा

2195GI/2000 - 2

और जहां अनिवासी हो, कूपन या भागतः प्रमाणपत्रों अथवा नकद में भागतः अधिकार की कीमत के समतुल्य के संदाय की व्यवस्था करना जब तक कि कंपनी साधारण बैठक में या स्टाक एक्सचेंज अन्यथा करार नहीं करता है ;

(द) निम्नलिखित की अधिसूचना स्टाक एक्सचेंज को तत्परता से देना ---

(i) कोई ऐसी कार्रवाई जिसका परिणाम एक्सचेंज में सूचीबद्ध किन्हीं यूनिटो/अन्य लिखतों सम्पूर्ण या भागतः रूप में मोचन, रद्दकरण या निवृत्ति है.,

(ii) ऐसी यूनिट/अन्य लिखतों के आहरण करने के आशय की उसी समय आहरण की तारीख और आहरण के लिए अन्तरण पुस्तिकाओं को बंद करने की अवधि(या बकाया में से काटने की तारीख) संसूचित करते हुए,

(iii) कोई आहरण करने के पश्चात् बकाया यूनिटों/अन्य लिखतों की राशि,

(ध) स्टाक एक्सचेंज को ऐसी कोई अन्य सूचना देना जो स्कीम की स्थिति के संबंध में यूनिट/किसी अन्य लिखत धारकों को अवगत कराने हेतु यूनिटों/किन्हीं अन्य लिखतों के बारे में मिथ्या बाजार के स्थापन को रोकने हेतु आवश्यक है ;

(न) कि सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन को मंजूरी मिलने की दशा में, ऐसा सूचीकरण समय-समय पर प्रवृत्त एक्सचेंज के नियमों और उप-विधियों के अध्यधीन होगा और कंपनी युक्तियुक्त समय के भीतर ऐसी और सूचीकरण करने की अपेक्षाओं का, जो नया सूचीकरण करने की साधारण शर्त के रूप में एक्सचेंज द्वारा प्रख्यापित की जाएं, अनुपालन करेगी ।

(4) व्यौहार किए जाने के लिए वांछित सभी नए निर्गमों की बाबत सूचीकरण के लिए नया आवेदन करना आवश्यक होगा :

परन्तु यह तब जब कि ऐसे नये यूनिट/नई लिखतें सभी प्रकार से वैसी ही हैं जैसी कि पहले से सूचीबद्ध हैं । व्यवहारों में प्रवेश के लिए कंपनी को, ऐसी नई स्कीमों की विशिष्टियां स्टाक एक्सचेंज को संसूचित करते हुए मंजूरी दी जाएगी ।

स्पष्टीकरण :- यूनिट/कोई अन्य लिखतें सभी प्रकार से केवल तभी एक जैसे होंगे यदि --

(क) वे उसी योजना के तहत निर्गमित हैं ;

(ख) वे उसी अंकित मूल्य के हैं और उन्हें प्रति यूनिट/अन्य लिखत उसी राशि के लिए आहूत किया गया है ;

(ग) वे उसी दर पर और उसी अवधि के लिए प्रतिकूल के हकदार होंगे जिससे अगले निर्गमन, वितरण पर प्रत्येक यूनिट/अन्य लिखत पर संदेय प्रतिकूल वास्तव में उतनी ही राशि का होगा जो उनका शुद्ध और सकल मूल्य है ; और

(घ) उनके हर दृष्टि से वही अधिकार हैं ।

(5) कोई मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज, किसी कंपनी या निगमित निकाय के यूनिटों/अन्य लिखतों के लिए व्यवहारों में प्रवेश की किसी शर्त के उल्लंघन या अननुपालन या किसी कारण के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे, जो स्टाक एक्सचेंज की राय में ऐसी कार्रवाई की न्यायोचित ठहराते हैं, व्यवहारों को निलम्बित कर सकेगा या उनमें प्रवेश को वापस ले सकेगा;

परन्तु यह कि कोई स्टाक एक्सचेंज, संबंधित कंपनी या निगमित निकाय को प्रस्तावित कार्रवाई के विरूद्ध सुनवाई का अवसर देने के लिए लिखित सूचना द्वारा कारण बताते हुए उचित अवसर दिए बिना कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि जहां किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज ने किसी सामूहिक योजना किसी यूनिट अन्य लिखत के, व्यवहारों में अपने प्रवेश को रोक लिया है या जहां व्यवहारों में प्रवेश का निलम्बन तीन मास की अवधि से अधिक के लिए जारी रहता है वहां संबंधित कंपनी या निगमित निकाय भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम,1992 (1992 का 15) की धारा 15ट के तहत गठित प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील कर सकेगा और प्रतिभूति संविदा(विनियम)(प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) नियमावली,2000 के तहत निर्धारित प्रक्रिया ऐसी अपील पर लागू होगी । प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण स्टाक एक्सचेंज को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् स्टाक एक्सचेंज के विनिश्चय में फेरफार या उसको अपास्त कर सकेगा और तदुपरांत प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों का स्टाक एक्सचेंज द्वारा पालन किया जाएगा ।

(6.) कोई मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज अपने विवेकानुसार उप-नियम(5) के अधीन या प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों के अनुसरण में, सूची से निलम्बित या वापस लिए गए किन्हीं यूनिटों /अन्य लिखतों के व्यवहारों को प्रत्यावर्तित या पुनः प्रविष्ट कर सकेगा ।

(7) इन नियमों द्वारा विहित सूचीबद्ध करने की बाबत सभी अपेक्षाएं यथसंभव संसद के अधिनियम या किसी राज्य विधान मंडल द्वारा गठित किसी निगमित निकाय पर भी लागू होंगी ।

परन्तु यह कि कोई मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पूर्वानुमोदन से तथा ऐसे अनुदेशों जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड इस संबंध में समय-समय पर जारी करे, के अधीन रहते हुए इस उपनियम में निर्विष्ट किसी निगमित निकाय की बाबत निर्गमित सामूहिक निवेश योजना के यूनिटों या किसी अन्य लिखत के कम से कम पच्चीस प्रतिशत के लोक अभिदाय के प्रस्ताव की अपेक्षा को शिथिल कर सकेगा ।

(8.) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, अपने विवेकानुसार या किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज की सिफारिश पर, इन नियमों द्वारा विहित सूचीकरण करने की बाबत किसी या सभी अपेक्षाओं के कठोर प्रवर्तन को समाप्त या शिथिल कर सकेगा ।" ।

[एफ. सं. 1/25/एस. ई./98]

डा० जे० भगवती, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र II ,खण्ड 3,पृष्ठ 619 दिनांक 21.2.1957 में प्रकाशित एसआरओ सं.576 दिनांक 21.2.1957 के तहत जारी की गई थी तथा इसे तदुपरांत भारतके राजपत्र,भाग II ,खण्ड 3, उप-खण्ड(i) दिनांक 22.7.1967 में प्रकाशित दिनांक 14.7.1967 की संशोधन अधिसूचना सा.का.नि.1096,भारत के राजपत्र,भाग II ,खण्ड 3, उप-खंड (i) दिनांक 10.6.1972,पृष्ठ 1556 में प्रकाशित सा.का.नि. 685 दिनांक 3.6.1972,सा.का.नि.666 (अ.) दिनांक 20.7.1987, सा.का.नि.870(अ.) दिनांक 13.11.1992,भारत के राजपत्र,असाधारण,भाग II ,खण्ड 3,उप-खण्ड(i) दिनांक 20.9.1993 में प्रकाशित सा.का.नि.617 (अ.) दिनांक 20.9.1993,भारत के राजपत्र,असाधारण,भाग II,खण्ड 3,उप-खण्ड (i) में प्रकाशित सा.का.नि.749 (अ.) दिनांक 12.12.1994,सा.का.नि.790(अ.) दिनांक 7.11.1994,भारत के राजपत्र,असाधारण,भाग II ,खण्ड 3,उप-खण्ड (i) दिनांक 9.3.1995 में प्रकाशित, सा.का.नि.121 (अ.) दिनांक 9.3.1995,भारत के राजपत्र,असाधारण,भाग II ,खण्ड 3,उप-खण्ड (i) दिनांक 27.3.1995 में प्रकाशित सा.का.नि.291(अ)दिनांक 27.3.1995 तथा भारत के राजपत्र,असाधारण,भाग II ,खण्ड 3,उप-खण्ड (i) दिनांक 23.12.1996 में प्रकाशित सा.का.नि.581 (अ.) दिनांक 23.12.1996 द्वारा संशोधित किया गया ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Capital Markets and External Commercial Borrowings Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2000

G.S.R. 654(E).— In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Securities Contracts (Regulation) Amendment Rules, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957,-

(i) in rule 19, in sub-rule(5), for the second proviso, the following shall be substituted, namely:-

"Provided further that where a recognised stock exchange has withdrawn admission to dealings in any security, or where suspension of admission to dealings has continued for a period exceeding three months, the company or body corporate concerned may prefer an appeal to the Securities Appellate Tribunal constituted under section 15K of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), and the procedure laid down under the Securities Contracts (Regulation) (Appeal to Securities Appellate Tribunal) Rules, 2000 shall apply to such appeal. The Securities Appellate Tribunal may, after giving the stock exchange an opportunity of being heard, vary or set aside the decision of the stock exchange and its orders shall be carried out by the stock exchange.";

(ii) for sub-rule (6), the following shall be substituted, namely:-

"(6) A recognised stock exchange may, either at its own discretion or shall in accordance with the orders of the Securities Appellate Tribunal under sub-rule (5) restore or re-admit to dealings any securities suspended or withdrawn from the list.";

(iii) after rule 19, the following rules shall be inserted, namely:-

"20. Requirements with respect to the listing of units or any other instrument of a Collective Investment Scheme on a recognised stock exchange:

(1) A collective investment management company (CIMC) which is desirous of getting its any collective investment scheme, listed on a recognised stock exchange, shall apply for the purpose to the stock exchange and forward along with its application the following documents and particulars:

(a) Certificate of incorporation, memorandum and articles of association of the company and the copy of the trust deed of the scheme intended to be listed.

(b) Copies of all prospectuses or statements in lieu of prospectuses issued by the company at any time.

(c) Copies of offers for sale and circulars or advertisements offering any unit or other instrument for subscription or sale during the last five years, or in the case of new company, such shorter period during which the company has been in existence.

(d) Copies of balance sheets and audited accounts for the last five years, or in the case of new company, for such completed financial year for which accounts have been made up.

(e) A statement showing -

(i) returns and cash bonuses, if any, paid during the last ten years (or such shorter period as the company has been in existence whether as a private or public company).

(ii) returns or interest in arrears, if any.

(f) Certified copies of agreements or other documents relating to arrangements pertaining to each scheme of the company with or between;-

(i) vendors and/or promoters,

(ii) underwriters and sub-underwriters,

(iii) brokers and sub-brokers.

(g) Certified copies of agreements pertaining to each scheme of a company with -

(i) selling agents and other service providers,

(ii) managing directors and technical directors,

(iii) general manager, sales manager, manager or secretary.

(h) Certified copies of every letter, report, balance sheet, valuation contract, court order or other document, part of which is reproduced or referred to in any prospectus, offer for sale, circular or advertisement offering units or any other instruments of the scheme for subscription or sale, during the last five years.

(i) A statement containing particulars of the dates of, and parties to all material contracts, agreements (including agreements for technical advice and collaboration), concessions and similar other documents (except those entered into in the ordinary course of business carried on or intended to be carried on by the company) together with a brief description of the terms, subject-matter and general nature of the documents pertaining to such scheme.

(j) A brief history of the Company since its incorporation giving details of its activities including any re-organisation, reconstruction or amalgamation, changes in its capital structure (authorised, issued and subscribed) and debenture borrowings, if any and the performance of other collective investment schemes of the company.

(k) Particulars of units of the scheme and/or shares, debentures of the company issued (i) for consideration other than cash, whether in whole or part, (ii) at a premium or discount, or (iii) in pursuance of an option.

(l) A statement containing particulars of any commission, brokerage, discount or other special terms granted to any person pertaining to such scheme.

(m) Certified copies of -

(i) certificate of registration granted by Securities and Exchange Board of India;

(ii) acknowledgement card or the receipt of filing offer document with the Securities and Exchange Board of India;

(iii) agreements, if any, with any public financial institution as specified in section 4A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

(n) A list of highest ten holders of units of each scheme of the company as on the date of application along with particulars as to the number of units held by and the address of each such holder.

(o) Particulars of units of the scheme for which permission to deal is applied for:

Provided that a recognised stock exchange may either generally by its bye-laws or in any particular case call for such further particulars or documents as it deems proper.

(2) Apart from complying with such other terms and conditions as may be laid down by a recognised stock exchange, an applicant shall satisfy the stock exchange that:

(a) Its articles of association provide for the following among others-

(i) that the company shall use a common form of transfer of units of a particular scheme;

(ii) that the fully paid units issued under the scheme will be free from all lien, while in the case of partly paid units the company's lien, if any, will be restricted to moneys called or payable at a fixed time in respect of such units;

(iii) that any amount paid-up in advance of calls on any units may carry interest but shall not entitle the holder of the unit to participate in respect thereof, in a return subsequently declared;

(iv) there will be no forfeiture of unclaimed returns before the claim becomes barred by law;

(v) that option or right to call of units shall not be given to any person except with the sanction of the company in general meeting:

Provided that a recognised stock exchange may provisionally admit to dealings the units of a scheme which undertakes to amend its articles of association at its next general

meeting so as to fulfil the foregoing requirements and agrees to act in the meantime strictly in accordance with the provisions of this clause.

(b) At least twenty-five per cent of the units or any other instrument of a scheme issued by the company was offered to the public for subscription through advertisement in newspapers for a period not less than two days and not more than ninety days, and that applications received in pursuance of such offer were allotted fairly and unconditionally:

Provided that a recognised stock exchange may relax this requirement, with the previous approval of the Securities and Exchange Board of India in respect of a Government Company within the meaning of section 617 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and subject to such instructions as the Securities and Exchange Board of India may issue in this behalf from time to time.

Explanation.- Where any part of the units or any other instruments sought to be listed have been or are agreed to be taken up by the Central Government, a State Government, development or investment agency of a State Government, Industrial Development Bank of India, Industrial Finance Corporation of India, Industrial Credit and Investment Corporation of India Limited, Life Insurance Corporation of India, General Insurance Corporation of India and its subsidiaries, namely, the National Insurance Company Limited, the New India Assurance Company Limited, the Oriental Insurance Company Limited and the United Insurance Company Limited, or Unit Trust of India, the total subscription to the units or any other instrument, whether by one or more of such bodies, shall not form part of the twenty-five per cent of the units or any other instruments to be offered to the public.

(3) A company applying for listing of a scheme shall, as a condition precedent, undertake *inter-alia-*

(a) (i) that letters of allotment of units or any other instrument will be issued simultaneously and that, in the event of its being impossible to issue letters of regret at the same time, a notice to that effect will be inserted in the press so that it will appear on the morning after the letters of allotment have been posted;

(ii) that letters of right will be issued simultaneously;

(iii) that letters of allotment, acceptance or rights will be serially numbered, printed on good quality paper and, examined and signed by a responsible officer of the company and that whenever possible, they will contain the distinctive numbers of the units or any other instrument to which they relate;

(iv) that letters of allotment and renounceable letters of right will contain a proviso for splitting and that, when so required by the exchange, the form of renunciation will be printed on the back of or attached to the letters of allotment and letters of right;

(v) That letters of allotment and letters of right will state how the next payment of interest or return on the units or any other instrument will be calculated;

(b) to issue, when so required, receipts for all units and any other instrument deposited with it whether for registration, sub-division, exchange or for other purposes; and not to charge any fees for registration of transfers, for sub-division and consolidation of units and any other instrument and for sub-division of letters of allotment, renounceable letters of right, and split, consolidation, renewal and transfer receipts into denominations of the market unit of trading;

(c) to issue, when so required, consolidation and renewal units or any other instrument in denominations of the market unit of trading, to split units or any other instrument, letters of allotment, letters of right, and transfer, renewal, consolidation and split receipts into smaller units, to split call notices, issue duplicates thereof and not require any discharge on call receipts and to accept the discharge of members of stock exchange on split, consolidation and renewal receipts as good and sufficient without insisting on the discharge of the registered holders;

(d) when documents are lodged for sub-division or consolidation or renewal through the clearing house of the exchange:

(i) to accept the discharge of an official of the stock exchange clearing house on the company's split receipts and consolidation receipts and renewal receipts as good and sufficient discharge without insisting on the discharge of the registered holders; and

(ii) to verify when the company is unable to issue units or any other instruments or split receipt or consolidation receipts or

renewal receipts immediately on lodgment whether the discharge of the registered holders, on the documents lodged for sub-division or consolidation or renewal and their signatures on the relative transfers are in order;

(e) on production of the necessary documents by unit holders or by members of the exchange, to make on transfers an endorsement to the effect that the power of attorney or probate or letters of administration or death certificate or similar other document has been duly exhibited to and registered by the company;

(f) to issue certificates in respect of units or any other instrument lodged for transfer within a period of one month of the date of lodgment of transfer and to issue balance units or any other instrument within the same period where the transfer is accompanied by a larger unit or any other instrument certificate;

(g) to advise the stock exchange of the date of the board meeting at which the declaration or recommendation of a return or the issue or right or bonus units or any other instrument will be considered;

(h) to recommend or declare all returns and/or cash bonuses at least five days before the commencement of the closure of its transfer books or the record date fixed for the purpose and to advise the stock exchange in writing of all returns and/or cash bonuses recommended or declared immediately after a meeting of the board of the company has been held to finalise the same;

(i) to notify the stock exchange of any change-

(i) in the company's directorate by death, resignation, removal or otherwise,

(ii) of managing director,

(iii) of auditors appointed to audit the books and accounts of the company;

(j) to forward to the stock exchange copies of statutory and annual reports and audited accounts of such scheme as soon as issued, including directors' report;

(k) to forward to the stock exchange as soon as they are issued copies of all other notices and circulars sent to the unit/other instrument holders regarding any important development or resolutions passed by the company affecting the performance of the scheme and to file with the stock exchange certified copies of resolutions of the company as soon as such resolutions become effective;

(l) to notify the stock exchange prior to intimating the unit/any other instrument holders, of any new issue of units/other instruments whether by way of right, privilege, bonus or otherwise and the manner in which it is proposed to offer or allot the same;

(m) to notify the stock exchange in the event of re-issue of any forfeited units/other instruments or the issue of units/other instruments held in reserve for future issue;

(n) to notify the stock exchange of any other alteration of unit capital including calls;

(o) to close the transfer books only for the purpose of declaration of returns or issue of right or bonus units/any other instruments in the scheme or for such other purposes as the stock exchange may agree and to give notice to the stock exchange as many days in advance as the exchange may from time to time reasonably prescribe, stating the dates of closure of its transfer books or, when the transfer books are not to be closed, the date fixed for taking a record of its unit/other instrument holders and specifying the purpose or purposes for which the transfer books are to be closed or the record is to be taken; and in the case of a right or bonus issue to so close the transfer books or fix a record date only after the sanctions of the competent authority, subject to which the issue is proposed to be made, have been duly obtained, unless the exchange agrees otherwise;

(p) to forward to the stock exchange an annual return immediately after the preparation of annual accounts of at least ten principal holders of each class of units/any other instruments of the company along with particulars as to the number of units/any other instrument held by, and address of, each such holder;

(q) to grant to unit/any other instrument holders of the scheme the right of renunciation in all cases of issue of rights, privileges and benefits and to allow them reasonable time, not being less than four weeks, within which to record, exercise, or renounce such rights, privileges and benefits, and to issue, where necessary, coupons or fractional certificates or provide for the payment of the equivalent of the value of the fractional right in cash unless the company in general meeting or the stock exchange agrees otherwise;

(r) to promptly notify the stock exchange-

(i) of any action which will result in the redemption, cancellation or retirement in whole or in part of any unit/other instrument listed on the exchange,

(ii) of the intention to make a drawing of such unit/other instrument intimating at the same time the date of the drawing and the period of the closing of the transfer books (or the date of the striking of the balance) for the drawing,

(iii) of the amount of units/other instruments outstanding after any drawing has been made;

(s) to intimate the stock exchange any other information necessary to enable the unit/any other instrument holders to appraise the position of the scheme and to avoid the establishment of a false market in the units/any other instruments of the company;

(t) that in the event of the application for listing being granted, such listing shall be subject to the rules and bye-laws of the exchange in force from time to time and that the company will comply within a reasonable time, with such further listing requirements as may be promulgated by the exchange as a general condition for new listings.

(4) A fresh application for listing will be necessary in respect of all new schemes desired to be dealt in:

Provided that, where such new units/other instruments are identical in all respects with those already listed, admission to dealing will be granted on the company intimating to the stock exchange particulars of such new schemes.

Explanation.- Units/any other instruments are identical in all respects only if-

(a) they are issued under the same scheme;

(b) they are of the same nominal value and the same amount per unit/other instruments has been called up;

(c) they are entitled to returns at the same rate and for the same period, so that at the next ensuring distribution, the return payable on each unit/other issue will amount to exactly the same sum, net and gross; and

(d) they carry the same rights in all other respects.

(5) A recognised stock exchange may suspend or withdraw admission to dealings in the units/other instruments of a scheme of a company or body corporate either for a breach of or non-compliance with, any of the conditions of admission to dealings or for any other reason, to be recorded in writing, which in the opinion of the stock exchange justifies such action;

Provided, however, that no such action shall be taken by a stock exchange without affording to the company or body corporate concerned a reasonable opportunity by a notice in writing, stating the reasons, to show cause against the proposed action:

Provided further that where a recognised stock exchange has withdrawn admission to dealings in any unit/other instrument of a collective investment scheme, or where suspension of admission to dealings has continued for a period exceeding three months, the company or body corporate concerned may prefer an appeal to the Securities Appellate Tribunal constituted under section 15K of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), and the procedure laid down under the Securities Contracts (Regulation) (Appeal to Securities Appellate Tribunal) Rules, 2000 shall apply to such appeal. The Securities Appellate Tribunal may, after giving the stock exchange an opportunity of being heard, vary or set aside the decision of the stock exchange and thereupon the orders of the Securities Appellate Tribunal shall be carried out by the stock exchange.

(6) A recognised stock exchange may, either at its own discretion or shall in accordance with the orders of the Securities Appellate Tribunal under sub-rule (5) restore or re-admit to dealings any units/other instruments suspended or withdrawn from the list.

(7) All the requirements with respect to listing prescribed by these rules, shall, so far as they may be, also apply to a body corporate constituted by an Act of Parliament or any State Legislature;

Provided that a recognised stock exchange may relax the requirement of offer to the public for subscription of at least twenty-five per cent of the units or any other instrument of a collective investment scheme issued in respect of a body corporate referred to in this sub-rule with the previous approval of the Securities and Exchange Board of India and also subject to such instructions as the Securities and Exchange Board of India may issue in this behalf from time to time.

(8) The Securities and Exchange Board of India may, at its own discretion or on the recommendation of a recognised stock exchange, waive or relax the strict enforcement of any or all of the requirements with respect of listing prescribed by these rules.".

[F No. 1/25/SE/98]
Dr. J. BHAGWATI, Jt. Secy.

Note : The principal Notification was issued under No. SRO 576 dated 21-2-1957 published in the Gazette of India II, section 3, page 619 dated 21-2-1957 and was subsequently amended by the amendment Notification GSR 1096 dated 14-7-1967, published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i) dated 22-7-1967, GSR 685 dated 3-6-1972 published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i) dated 10-6-1972, page 1556, GSR 666(E) dated 20-7-1987, GSR 870(E) dated 13-11-1992, GSR 617(E) dated 20-9-1993, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) dated 20-9-1993, GSR 749(E) dated 12-12-1994, published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, section 3, sub-section (i), GSR 790(E) dated 7-11-1994, GSR 121(E) dated 9-3-1995, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) dated 9-3-1995, GSR 291(E) dated 27-3-1995, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) dated 27-3-1995 and GSR 581(E) dated 23-12-1996, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) dated 23-12-1996.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 2000